Form No- III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम टोडारायसिंह जिला - टोंक (राज.)

~~मुकदमा~~ .... शिवानी बनाम जगन्नाथ प्रसाद 214

किस्म मुकदमा : दावा / ~~दर~~ / ~~इजराय~~ ...... दावा .... नम्बर .... वर्ष 2019 ....

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/10/19	अभिभाषक वादी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट शरिस्ते हो चुकी है। अतः दावा दर्ज रजिस्टर होकर तलबी प्रतिवादी गण जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 18/10/19 को पेश हों। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह	
18/10/19	अभि० वादी उप०। प्रतिवादीगण की ओर से श्री मो० इस्लाम Ad. ने वकालतनामा, इकबालिया जवाब दावा पेश किया। शामिल रहे। उभयपक्ष उप०। राजीनामा पेश किया। तस्दीक किया जाता है। शामिल रहे। अभि० वादी ने दस्तावेज पेश किये। शामिल रहे। पत्रावली वास्ते बहस दि० 21/10/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	Shivam (हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) संजय कुमार ... gd Ku... (हस्ताक्षर)
21/10/19	अभि० उभयपक्ष उप० है। प्रतिवादी नं. 4 उप० नहीं सो कार्यवाही एकतरफा की जाती है। बहस सुनी गई। जो मुकदमा रूप से वादपत्र व जवाब के अनुसार रही। वादिया का कथन है कि वादिया प्रतिवादी नं. 1 की पुत्री है वादिया के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आ. ख. नं. 293/1019 रकबा 0.30 हे० सम्पूर्ण, 294 रकबा 1.65 हे० में से 2/33 हि० वाके ग्राम रतवाई तह० टोडारायसिंह में स्थित है जिसकी वादिया काबिज काश्त खातेदार काश्तकार है वादिया के उक्त आराजी का रजिस्टर्ड दानपत्र दि० 6/9/2019 को निष्पादित के समय ही दान पत्र में अंकित किया था कि ख. नं. 294 रकबा 1.65 हे० में दान आराजी ख. नं. 293/1019 रकबा 0.30 हे० के लगता उत्तरी ओर स्थित है	

जिसके साथ ही ~~कि~~ नजरी नक्शा संलग्न दान पत्र अंकित किया था। वादिया अपने हिस्से की आराजी का विधिवत तकासमा करवाकर अलग खाता कायम करवाना चाहती थी अतः वाद वादिया डिक्री किया जाकर मुताबिक दान पत्र संलग्न नजरी नक्शा आ. ख. नं. 294 वाके ग्राम रतवाई के उत्तरी ओर ख. नं. 293/1019 रकबा 0.30 हे० के अड़ाकर वादिया का 2/33 हि० की थांट में तरमीम की जाकर वादिया का 2/33 हि० का विधिवत तकासमा फरमाया जाकर अलग कायम किया जावे। रिकॉर्ड में तरमीम की जावे।

वाद वादिया पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर इकबालिया जवाब दावा पेश किया तथा राजीनामा पेश किया जिसे बाद तस्दीक शामिल करार गया।

वादीया ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खाता सं. 175, 351, जमाबंदी संवत् 2073-76 वाके ग्राम रतवाई तथा फोटो प्रति रजिस्टर्ड दान पत्र दि० 6/9/2019 जगन्नाथ प्रसाद, बद्रीप्रसाद, संजयकुमार बहक शिवानी शर्मा पुत्री जगन्नाथप्रसाद पेश किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया। आराजी ख. सं. 293/1019 रकबा 0.30 हे० सम्पूर्ण हिस्सा वादिया के नाम खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा आ० ख० नं. 294 रकबा 1.65 हे० में से $\frac{2}{33}$ हि० अर्थात् 0.10 हे० की वादिया प्रतिवादीगण की सहखातेदारी में दर्ज थी अर्थात् आ० ख. नं. 294 रकबा 1.65 हे० में हि० $\frac{2}{33}$ अर्थात् $\frac{10}{165}$ हि० है। अर्थात् वादिया की 0.10 हे० भूमि है। पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड दानपत्र दि० में स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि ख. नं. 294 व 293/1019 दोनों ख. नं. आपस में लगवा ही है। ख. नं. 294 रकबा 1.65 हे० में

में से 10/165 वां हि० ख. नं. 293/1019 के अड़ाकर उत्तरी ओर स्थित है, सम्बन्धित शुदा आराजी को सुर्ख लाल रंग से दर्शाया गया है। जिनका नजरी नक्शा दान पत्र के साथ संलग्न है, जो दान पत्र का अभिन्न अंग है। इकबालिया जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया है। राजीनामा पेश कर तस्दीक करवाया है। इकबालिया जवाब दावा, राजीनामा, दान पत्र से वाद पत्र की पूर्ण ताईद होती है। दान पत्र के अनुसार वादिया आ० ख० नं. 294 रकबा 1.65 हे० में से वादिया के हिस्से 2/33 की तरमीम ख. नं. 293/1019 के अड़ाकर ख. नं. 294 की उत्तरी ओर का 2/33 अर्थात् 0.10 हे० की ~~अलग~~ तरमीम करवाकर अलग खाता कायम करवाने की अधिकारी है।

अतः वाद वादिया मुताबिक राजीनामा एवं रजिस्टर्ड दानपत्र के अनुसार डिक्री किया जाकर ख. नं. 294 रकबा 1.65 हे० में से $\frac{10}{165}$ वां हि० यानि $\frac{2}{33}$ वां हिस्सा अर्थात् 0.10 हे० वाके ग्राम रतवाई तहसील टोडारायसिंह की तरमीम ख. नं. 293/1019 रकबा 0.30 हे० वाके ग्राम रतवाई के लगवा ही किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। अर्थात् ख. नं. 294 का उत्तरी ओर का हिस्सा जो ख. नं. 293/1019 के अड़वा (लगवा) है, की 0.10 हे० की तरमीम कर अलग खाता (वादिया के खाते में) कायम किया जावे। तदनुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। हुक्म आज दि० 21/10/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह (टोंक)